

**भारतीय लघु „Ô¸¸½Š¸ विकास बैंक (सिडबी)**

**नंबर 19, रॉयल रोड कंटोंमेंट, तिरूच्चि-620001**

**www.sidbi.in**

**ई-नीलामी द्वारा बिक्री की सार्वजनिक सूचना**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) व 8(9) के अंतर्गत**

 **ई-नीलामी (ऑन लाइन) द्वारा आस्तियों (संपत्ति) की बिक्री**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 5, 6 व 7 के अंतर्गत बैंक में बंधक/दृष्टिबंधक चल /अचल आस्तियों(संपत्तियों) की ई-नीलामी द्वारा बिक्री।

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सन 2002 का 54वाँ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे दिए गए उधारकर्ता खाते के संबंध में दी गई ऋण सुविधाओं के प्रतिस्वरूप धारित निम्नोल्लिखित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है।

संबंधित उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटीदाता को बिक्री विषयक नोटिस पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) को देय प्रतिभूत ऋणों की वसूली हेतु इन प्रतिभूत आस्ति (संपत्ति) को *‘जो है जैसा है तथा जो है जहाँ है’* आधार पर नीचे वर्णित सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बिक्री करने का निर्णय किया गया है।

|  |  |
| --- | --- |
| प्रतिभूत ऋणदाता का नाम और पता | भारतीय लघु **„Ô¸¸½Š¸** उद्योग विकास बैंक (सिडबी), नंबर 19, रॉयल रोड कंटोंमेंट, तिरूच्चि-620001. |
| उधारकर्ता / बंधककर्ता का नाम और पता  | स्वामी इंजिनियरिंग वर्क्स, 4/849, भारतीदासन नगर, 7वीं स्ट्रीट, पाप्पाकुरिच्ची रोड, नॉर्थ काट्टूर, तिरूच्चि – 620019॰ |
| बैंक को देय बकाया राशि  | `4,06,995/- (यथा दि.11.02॰2016 के सरफासी नोटिस के अनुसार) और इस राशि के ऊपर 12.02.2016 से लागू देय ब्याज एवं अन्य खर्चों व प्रभारों सहित।  |

|  |  |
| --- | --- |
| **चल संपत्ति का विवरण** | स्वामी इंजिनियरिंग वर्क्स, 4/849, भारतीदासन नगर, 7वीं स्ट्रीट, पाप्पाकुरिच्ची रोड, नॉर्थ काट्टूर, **तिरूच्चि** – 620019 में स्थापित किये हुए एक बाटलीबई सीएनसी टर्निंग सेंटर – माडेल स्प्रिंट 20TC फनुक सीएनसी सिस्टम मेशिन के साथ।  |
| **नीलामी की तारीख और समय** | 20.09.2016 को 17.30 बजे से 18.30 बजे के बीच बिक्री समाप्त होने तक प्रति 5 मिनिट अवधि के असीमित स्वत: विस्तारणों सहित |
| ई-नीलामी का पोर्टल | **E-Procurement Technologies Ltd.**[https://sidbi.auctiontiger.net](https://sarfaesi.abcprocure.com/) |
| **आरक्षित मूल्य** | `6,76,000/- (रुपये छह लाख छिहत्तर हजार मात्र)  |
| **बयाना राशि जमा** | `67,600/-रुपये रुपये सड़सठ हजार छे सौ मात्र)  |
| **बोली-वर्द्धन गुणांक** | `10,000/- रुपये के गुणकों में (दस हजार रुपए केवल) |
| पता जहाँ ई-टेंडर दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाना है | **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉज़ीज़ लि. इनके वेबसाइट पर** [https://sidbi.auctiontiger.net](https://sarfaesi.abcprocure.com/) (E-mail: praveen.thevar@auctiontiger.net, rikin@auctiontiger.net or support@auctiontiger.net, tamilnadu@auctiontiger.net) पर ऑनलाइन |
| इच्छुक क्रेताओं द्वारा आस्तियों के निरीक्षण की तारीख | 26.08.2016 और 02.09.2016 को 11.00 बजे से 15.00 बजे तक |
| टेंडर फार्म जमा किए जाने की अंतिम तारीख | 20.09.2016 को 16.30 बजे तक |
| ऑनलाइन प्रस्तावों को खोलने की तारीख और समय  | 20.09.2016 को 17.30 बजे |

**अन्य नियम एवं शर्तें**

1. बैंक द्वारा ई-निलामी आयोजित की जाएगी और इच्छुक बोलीकर्ता ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉज़ीज़ लि. अहमदाबाद ऑनलाइन सहायता हेतु (फोन नं.079-40230841/821/823/816/817/819/820) अथवा श्री पी.एस.मनोज़, उप महाप्रबंधक, सिडबी, कोयम्बत्तूर मो.सं. 7639380581, ई-मेल: manojp@sidbi.in से उक्त सेवाप्रदाता से ई-नीलामी विषयक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
2. इच्छुक क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने और **ई-नीलामी** प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी द्वारा बिक्री के बारे में वेबसाइट: <http://sidbi.auctiontiger.net> अथवा [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) पर दिए गए विस्तृत नियम और शर्तों को पढ़ लें या प्राधिकृत अधिकारी, सिडबी, कोयम्बत्तूर से संपर्क करें।
3. ई-नीलामी उपरोल्लिखित दिनांक एवं समय तक जारी रहेगी और जब तक बिक्री समाप्त नहीं हो जाती तब तक इसमें 5 मिनिट प्रत्येक का असीमित स्वत:विस्तारण होता जाएगा।

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002**

**के अंतर्गत 30 दिन का सांविधिक बिक्री नोटिस**

1. यह प्रकाशन ऋण सहायता प्राप्त करने वाले उधारकर्ता/बंधककर्ता/दृष्टिबंधककर्ता/गारंटीकर्ता के लिए 30 दिनों की सूचना भी है कि यदि इस बीच बकायों को चुकता नहीं किया गया तो उपर्युक्त घोषित तिथि को उपर्युक्त आस्तियों की बिक्री कर दी जाएगी।
2. संबंधित उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारटीदाता को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे उपरोल्लिखित देय राशि और उस पर देय अद्यतन ब्याज एवं अन्य प्रासंगिक खर्चों की अदायगी ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व कर दें। ऐसा न किए जाने पर निर्दिष्ट संपत्ति को नीलम कर / बेच दिया जाएगा और बकाया देय राशियों, यदि कोई हो, को उक्त बिक्री से प्राप्त राशि में से ब्याज और अन्य व्ययों के साथ वसूल कर लिया जाएगा।

**दिनांक : 16.08.2016 ह/-**

**स्थान :** तिरूच्चि **(पी॰एस॰मनोज)**

 **प्राधिकृत अधिकारी**